आदर्श

पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक - 2009

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

आदर्श
पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2009

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली

(दि स्ट्रीट वेन्डर्स (प्रोटेक्शन आफ लिवलीहुड एंड रेग्यूलेशन आफ स्ट्रीट वेन्डिंग) बिल, 2009 का हिन्दी अनुवाद)

पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2009

शहरी पथ विक्रेताओं की जीविका का संरक्षण करने और पथ विक्रय को विनियमित करने तथा उनसे संबंधित या उनके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद/ ....(राज्य का नाम) राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पथ विक्रेता(जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2009 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ....(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) पर है ।

(3) यह उस तारीख को जो केन्द्रीय/राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे प्रवृत्त होगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंध रेल के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी भूमि, परिसरों और रेलों पर लागू नहीं होंगे ।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''समुचित सरकार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं :--

(i) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन भूमियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार ;

(ii) राज्य का नाम) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन भूमियों के संबंध में राज्य सरकार ;

(iii) (संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन का नाम) संघ राज्यक्षेत्र के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन भूमियों के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन;

(ख) 'धारण क्षमता' से ऐसे पथ विक्रेताओं की जो किसी विक्रय परिक्षेत्र में समायोजित किए जा सकते हों, अधिकतम संख्या अभिप्रेत है ;

(ग) 'स्थानीय प्राधिकरण' से कोई नगर निगम या कोई नगर परिषद् या कोई नगर पंचायत जो किसी भी नाम से ज्ञात है, या यथास्थिति कोई छावनी बोर्ड या छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त की गई कोई नागरिक क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य निकाय जो किसी शहर या कस्बे में नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कृत्य करने के लिए और पथ विक्रय का विनियमन करने के लिए विधिक रूप से हकदार है और जिनमें ऐसा 'योजना प्राधिकरण' जो उस शहर या कस्बे में भूमि के उपयोग को विनियमित करता हो, अभिप्रेत है; 2006 का 41

1996 का 1

(घ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) ''योजना प्राधिकरण'' से किसी लागू, कस्बे और देश की योजना अधिनियम या शहरी विकास अधिनियम या नगरपालिका अधिनियम के अधीन विधिक रूप से प्रवृत्त किसी मास्टर प्लान या विकास योजना या परिक्षेत्र योजना या अभिन्यास योजना या कोई अन्य स्थानीय योजना में किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए क्षेत्रों के प्रमित विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि उपयोग के विनियमन के लिए उत्तरदायी समुचित सरकार द्वारा किसी शहर या कस्बे में कोई शहरी विकास प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण, अभिप्रेत है ;

(च) ''विहित'' से किसी समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) ''स्कीम'' से धारा 3 के अधीन समुचित सरकार द्वारा विरचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(ज) ''विनिर्दिष्ट'' से स्कीम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ;

(झ) ''राज्य नोडल अधिकारी'' से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में शहरी पथ विक्रय से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा अभिहित किया गया कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ञ) ''पथ विक्रेता'' से किन्हीं चीजों, माल, सामग्री, खाद्य वस्तुओं के विक्रय में या प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं के वाणिज्य में लगा हुआ या साधारण जनता को किसी सड़क, लेन, पटरी, फुटपाथ, फर्श, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या किसी क्षेत्र या अस्थायी रूप से विनिर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए सेवा में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें फेरीवाला, बेलचा, आबादकार और अन्य समानार्थी पद भी जो स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से विनिर्दिष्ट किए जाएं, सम्मिलित हैं, और ''पथ विक्रय'' शब्द के व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाएगा ;

(ट) ''कस्बा विक्रय समिति'' से धारा 4 के अधीन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित किया गया कोई निकाय अभिप्रेत है ;

(ठ) ''विक्रय परिक्षेत्र'' से किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए योजना प्राधिकरण द्वारा, पथ विक्रय के

लिए पथ विक्रेताओं द्वारा अभिहित किया गया कोई क्षेत्र या स्थान या कोई अवस्थान अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत जनता के लिए फुटपाथ, पटरी, फर्श, पुश्ता, किसी पथ के भाग, प्रतीक्षा क्षेत्र या ऐसे कोई स्थान जो विक्रय क्रियाकलाप के लिए तथा साधारण जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझे जाएं, भी सम्मिलित हैं ;

(2) इस अधिनियम के किसी निर्देश में कोई अधिनियमिति या उसका कोई उपबंध इस अधिनियम की किसी अधनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति निर्देश का, जो ऐसी अधिनियमिति या ऐसे उपबंध, प्रवृत्त नहीं है, उस क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के बारे में, यदि कोई हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

पथ विक्रय के लिए स्कीम

पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम ।

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा कोई स्कीम जो निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों को विनिर्दिष्ट करे, विरचित करेगी, अर्थात् :--

(क) पथ विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान, नवीकरण, निलंबन या रद्दकरण का प्रारूप और रीति और पहचान-पत्र को जारी करना ।

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान और नवीकरण के लिए फीसों की वसूली या संग्रहण की रीति और रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों तथा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माने ;

(ग) पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण को अपीलें फाइल करने के प्रारूप और रीति तथा उसके द्वारा अपीलों के निपटान के लिए प्रक्रिया ;

(घ) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को स्टालों के आबंटन की रीति और उसके निबंधन और शर्तें ;

(ङ) किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने, नवीकृत करने, उसको निलंबित या रद्द करने का प्रारूप और रीति ;

(च) किसी अनुज्ञप्ति को प्रदान और नवीकृत करने के लिए फीसों की वसूली और संग्रहण की रीति तथा अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माने ;

(छ) किसी मास्टर प्लान, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना, अभिन्यास योजना या किन्हीं अन्य स्थानीय योजनाओं में पथ विक्रेताओं के लिए विक्रय परिक्षेत्रों को अलग करने के लिए योजना प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किए जाने वाली स्थानीय योजना के सन्नियम ;

(ज) निर्बंधन-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, निर्बंधित-विक्रय-परिक्षेत्रों और विक्रय- प्रतिषेध-परिक्षेत्रों के रूप में

विक्रय परिक्षेत्रों के अवधारण के लिए सिद्धांत ;

(झ) ऐसी शर्तें जिसके अधीन निजी स्थानों को, निर्बंधन-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, निर्बंधित-विक्रय-परिक्षेत्रों और विक्रय-प्रतिषेध परिक्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाए ;

(ञ) विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता अवधारित करने के लिए सिद्धांत और डिजिटल फोटो युक्त व्यापक जनगणना करने की रीति और विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता के भीतर पथ विक्रेताओं के समायोजन के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की सहायता से पथ विक्रेताओं की विद्यमान संख्या का सर्वेक्षण ;

(ट) पथ विक्रय के लिए निबंधन और शर्तें जिनमें लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए संप्रेक्षण करने वाले सन्नियम सम्मिलित हैं ;

(ठ) राज्य स्तर पर पथ विक्रय से संबंधित सभी विषयों के समन्वय के लिए राज्य नोडल अधिकारी का पदाविहित किया जाना ;

(ड) पथ विक्रेताओं के संबंध में कस्बा विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा उपयुक्त अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को रखे जाने की रीति ;

(ढ़) पथ विक्रेताओं को नोटिस देने और बेदखली की रीति; स्टालों, माल और उपस्करों को परिबद्ध करना, उनका विनाश या अभिग्रहण करना तथा बेदखल पथ विक्रेताओं को पुनः अवस्थित करना और प्रतिकर संदाय करना ;

(ण) कोई अन्य विवरण जो समुचित सरकार द्वारा स्कीम में सम्मिलित करने के लिए समुचित समझा जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम का सारांश, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार-पत्रों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा ।

अध्याय 3

कस्बा विक्रय समिति

कस्बा विक्रय समिति ।

4. (1) समुचित सरकार, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक कस्बा विक्रय समिति का गठन करेगी ।

(2) प्रत्येक कस्बा विक्रय समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--

(क) यथास्थिति नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो अध्यक्ष होगा; और

(ख) स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस, पथ विक्रेताओं का संगम, बाजार संगमों, व्यापारिक संगमों, निवासी कल्याण संगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और ऐसे अन्य

हितों का जो उपयुक्त समझे जाएं, प्रतिनिधित्व करने के लिए समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य सदस्यों की उतनी संख्या जितनी विहित की जाए :

परंतु पथ विक्रेता का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी और ऐसे सदस्यों की एक तिहाई संख्या, स्त्री विक्रेताओं में से होगी ।

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्तियो को भी जो शारीरिक रूप से निःशक्त है; युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं, प्राप्त करेंगे ।

(4) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य जब तक कि समुचित सरकार द्वारा उसका नामनिर्देशन पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता है, उसके नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

कस्बा विक्रय समिति की बैठकें ।

5. कस्बा विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर ऐसे समय और स्थानों पर बैठक आयोजित करेगी और उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किए जाएं ।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कस्बा विक्रय समिति के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन ।

6. (1) कस्बा विक्रय समिति, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी इस अधिनियम के किसी उपबंधों को कार्यान्वित करने में सहायता या सलाह कि वांछा करे, ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, स्वयं के साथ सहयुक्त कर सकेगी ।

(2) किसी प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार सहयुक्त किसी व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु समिति की किसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को ऐसे भत्ते, जो विहित किए जाएं, संदत्त किए जाएंगे ।

कस्बा विक्रय समिति के लिए कार्यालय का स्थान और अन्य कर्मचारी।

7. समुचित सरकार, कस्बा विक्रय समिति को समुचित कार्य स्थान और ऐसे अन्य कर्मचारी, जो विहित किए जाएं, उपलब्ध कराएगी ।

वार्ड विक्रय समितियों का गठन ।

8. कस्बा विक्रय समिति, वार्ड विक्रय समितियों का ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्यां में जो विहित की जाएं, गठन कर सकेगी ।

कस्बा विक्रय समिति के कृत्य ।

9. समुचित सरकार कस्बा विक्रय समिति को निम्नलिखित कृत्य, समनुदेशित कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) पथ विक्रेताओं को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना, उनका नवीकरण, निलंबन या रद्द करना ;

(ख) पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र, ऐसे प्रारूप और रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, जारी करना ;

(ग) पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, संग्रहित करना ;

(घ) स्थानीय प्राधिकारी के परामर्श से चल स्टालों के लिए गाड़ी खड़ी करने के स्थान के लिए और नागरिक सेवाओं के उपभोग के लिए, रजिस्ट्रीकरण के लिए, फीस को बैंकों, स्थानीय प्राधिकारी के पटलों या कस्बा विक्रय समिति के पटलों के माध्यम से संग्रहित करने की रीति को अवधारित करना ;

(ङ) विक्रय परिक्षेत्रों की पहचान और अभिहित करना ;

(च) विक्रय परिक्षेत्रों में विक्रय के लिए समय विनिर्दिष्ट करना ;

(छ) भूमि, पथ, फुटपाथ, पुश्ता, प्रतीक्षा क्षेत्र, उद्यानों और विक्रय के लिए अभिहित अन्य सार्वजनिक स्थानों के अभिलेख ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, रखना ;

(ज) विक्रय परिक्षेत्रों के नियत कालिक सर्वेक्षण करना ;

(झ) पथ विक्रेताओं के संबंध में आंकड़े एकत्र करना और रखना ;

(ञ) विक्रय परिक्षेत्रों में विभिन्न प्रवर्ग के स्थायी और चल स्टालों के लिए मात्रात्मक सन्नियम अवधारित करना;

(ट) प्रत्येक विक्रय परिक्षेत्र की धारण क्षमता को निर्धारित और अवधारित करना;

(ठ) विनिर्दिष्ट रीति में रजिस्ट्रीकरण-मुक्त - विक्रय परिक्षेत्रों, निर्बंधित विक्रय परिक्षेत्रों और विक्रय-रहित परिक्षेत्रों के रूप में विक्रय परिक्षेत्रों की पहचान करना और घोषणा करना ;

(ड) विक्रय परिक्षेत्र के प्रकार,उसकी सीमाओं और विक्रय समयों को उपदर्शित करने के लिए प्रत्येक विक्रय ज़ोन में साइन बोर्ड लगाना ;

(ढ़) साप्ताहिक हाटों , रात्रि बाजारों, छुट्‌टी बाजारों और त्योहार बाजारों के लिए विक्रेता बाजारों के स्थान और समयों की घोषणा करना ;

(ण) विक्रय परिक्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत सहित नागरिक सुखसुविधाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना ;

(त) पथ विक्रेताओं के क्रियाकलापों की मानीटरी करना ;

(थ) यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उत्पादों की और जनता को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की क्वालिटी, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा मानक बनाए रखे गए हैं ;

(द) यह सुनिश्चित करना कि आंबटित स्टालों का विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार आबंटियों द्वारा उपयोग किया गया है ;

(ध) रजिस्ट्रीकरण के जारी करने, उसके नवीकरण, निलंबन और रद्दकरण के लिए निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करना ;

(न) रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण करने के लिए जुर्माने के अधिरोपण सहित कार्रवाईयों को अवधारित करना ;

(प) संस्थागत तंत्रों के माध्यम से प्रत्यय के संबंध में जानकारी की अभिवृद्धि करना ;

(फ) पथ विक्रेताओं के क्रियाकलाप को विनियमित करने के लिए सन्नियम अवधारित करना ;

(ब) मृत्यु, बीमारी या निःशक्तता की दशा में पथ विक्रेताओं को बीमा, प्रसूति प्रसुविधा, वार्धक्य पेंशन और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए निबंधनों और शर्तों को अवधारित करना ;

(भ) पथ विक्रेताओं के संगमों और स्वयं सहायता समूहों को संचालित करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिकथित करना ;

(म) पथ विक्रेताओं को और तकनीकी तथा कारोबार दक्षता के संबंध में उन्हें जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ;

(य) पथ विक्रेताओं के बीच शिकायतों को दूर करना और विवादों का समाधान करना ;

वार्षिक लेखा विवरण का प्रकाशन ।

10. कस्बा विक्रय समिति अपने वार्षिक लेखा विवरण ऐसी प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, तैयार और प्रकाशित करेगी ।

अध्याय 4

पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

11.(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और पथ विक्रय का कार्य करने का आशय रखता है, कस्बा विक्रय समिति को, पथ विक्रेता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण।

12 (1) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन की कस्बा विक्रय समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट किया जाए रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा :

परंतु विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्ण होने पर, यदि आवेदक को, आवेदन की अस्वीकृति या उसमें कमियों के बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक को, रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा।

(2) कस्बा विक्रय समिति, आवेदक को, कमियों का, यदि कोई है, सुधार करने का और उसको सुने जाने का अवसर दिए बिना, सक्षिप्ततः अस्वीकृत नहीं करेगा।

(3) यदि, यथास्थिति, कस्बा विक्रय समिति या कस्बा विक्रय समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि आवेदन इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंधों के अनुपालन में है तो वह, पथ विक्रेता का नाम रजिस्टर करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कस्बा विक्रय समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, स्थानीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं का स्टालों के आबंटन में अधिमान।

13. (1) स्थानीय प्राधिकारी, विक्रय परिक्षेत्र में स्टालों के आबंटन में रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को मान्यता दे सकेगें।

(2) पथ विक्रेताओं को स्टालों का आबंटन, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाएं।

अनुज्ञप्ति की मंजूरी।

14. कोई रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता, जिसको विक्रय परिक्षेत्र में स्टाल आबंटित किया गया है, उसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी दी जाएगी और समय-समय पर उसका नवीकरण, ऐसी रीति में, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट की जाएं।

अध्याय 5

स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य।

15. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :--

(क) पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम का पूर्ण रूपेण अधीक्षण और मानीटरी ;

(ख) कस्बा विक्रय समिति के प्रभावी कृत्यों की मानीटरी ;

(ग) विनिर्दिष्ट रीति में पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अपीलों का विनिश्चय ;

(घ) विनिर्दिष्ट रीति में पथ विक्रेताओं को स्टालों का आबंटन ;

(ङ) विनिर्दिष्ट रीति में रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति की मंजूरी, उसका नवीकरण, निलंबन या रद्द करना ;

(च) विक्रय परिक्षेत्रों में और पथ विक्रेताओ को, नागरिक सेवाओं में कस्बा विक्रेता समिति के साथ परामर्श प्रदान करना जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :--

(i) ठोस अपशिष्ट व्ययन ;
(ii) स्वच्छता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शौचालय ;
(iii) विद्युत ;
(iv) पेयजल ;
(v) पथ विक्रेताओं और उनके माल के संरक्षण के लिए आश्रय ;
(vi) भण्डारण सुविधा, सौंदर्यकरण, चिन्हों का विस्थापन ;
(vii) अन्य सुविधाएं, जो पथ विक्रेताओं के लिए आवश्यक हों और स्कीम में विनिर्दिष्ट हों ;

(छ) कस्बा विक्रय समिति के परामर्श से बैंक, स्थानीय प्राधिकारी के पटलों और कस्बा विक्रय समिति के पटलों के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण, चल स्टालों के लिए पार्किंग स्थल का उपयोग और नागरिक सेवाओं की उपलब्धता के लिए फीस के संग्रहण की रीति का अवधारण करना ;

(ज) कस्बा विक्रय समिति के परामर्श व्यापक डिजीटल फोटो जनगणना और ऐसे विशेषज्ञों की सहायता से और ऐसी रीति, जो विनिर्दिष्ट की जा सके, विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता के भीतर पथ विक्रेताओं को समायोजित किए जाने के प्रयोजन के लिए, पथ विक्रेताओं के विद्यमान संख्या का सर्वेक्षण करना ;

(झ) अपनी वेबसाइट पर पथ विक्रेताओं के संपूर्ण डाटा बेस को अधिसूचित करना और नियमित अंतराल पर उन्हें अद्यतन करना ।

अध्याय 6

योजना प्राधिकारी के कर्तव्य

16. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, योजना प्राधिकारी, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-- योजना प्राधिकारी के कर्तव्य ।

(क) पथ विक्रेताओं के लिए स्थानीय योजना सन्नियमों का अवधारण करना ;

(ख) मास्टर प्लान, विकास योजना, परिक्षेत्रीय योजना, अभिन्यास योजना और किसी अन्य योजना में विक्रय परिक्षेत्रों के लिए स्थल निश्चित करना ;

(ग) योजना सन्नियमों के संबंध में कस्बा विक्रय समिति के कृत्यों को मानीटर करना ;

(घ) अभिहित विक्रय परिक्षेत्रों में पथ विक्रेताओं के समायोजन के लिए नगर या कस्बा मास्टर प्लान, विकास योजना, परिक्षेत्र योजना,अभिन्यास योजना और किसी अन्य योजना का संशोधन करना ;

(ङ) कस्बा या नगर की अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन करना ;

(च) ऐसे सन्नियमों को अंगीकृत करके जो विनिर्दिष्ट किए जा सके, उस नगर या कस्बे में पथ विक्रेताओं की व्यापक संख्या के लिए और भावी विकास के लिए भी, अनुकूल और प्रर्याप्त स्थानिक योजनाओं को तैयार करना ;

(छ) किसी अन्य कर्तव्य/ कर्तव्यों का निवर्हन करना जो समुचित सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

अध्याय 7

शर्तों के भंग और शास्ति

रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण या निलंबन ।

17. जहां कोई पथ विक्रेता जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या उसका अभिकर्ता या सेवक, उसकी किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अन्य निबंधनों और शर्तों को भंग करता है या जहां कस्बा विक्रय समिति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण, पथ विक्रेता द्वारा जिसने दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया है, वहां कस्बा विक्रय समिति किसी अन्य जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन पथ विक्रेता द्वारा उपगत किया गया है, ऐसी अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या निरस्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परंतु ऐसा कोई निरस्तीकरण या निलंबन कस्बा विक्रय समिति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पथ विक्रेता को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।

स्टाल, अनुज्ञप्ति आदि के आबंटन का रद्दकरण या निलंबन ।

18. जहां किसी पथ विक्रेता, जिसको इस अधिनियम के अधीन स्टाल आबंटित की गई है या अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या ऐसे विक्रेता का कोई अभिकर्ता या नौकर उसकी किसी शर्त को या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों को भंग करता है या जहां स्थानीय प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि यथास्थिति स्टाल या अनुज्ञप्ति का ऐसा आबंटन दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया है वहां स्थानीय प्राधिकरण किसी अन्य जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के

अधीन पथ विक्रेता द्वारा उपगत किया गया है यथास्थिति ऐसी स्टाल या अनुज्ञप्ति का आबंटन का रद्दकरण या उसका निलबंन कर सकेगी :

परंतु ऐसा रद्दकरण या निलबंन पथ विक्रेता को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

उल्लघंन के लिए शास्ति । **19. (1) यदि कोई पथ विक्रेता–**

(क) बिना रजिस्ट्रीकरण को पथ विक्रय में लगा हुआ है ;

(ख) अभिहित विक्रय परिक्षेत्रों या विनिर्दिष्ट समय के परे विक्रय करता है ;

(ग) ऐसे सामान का विक्रय करता है या सेवाएं देने का प्रस्ताव करता है जो लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(घ) रजिस्ट्रीकरण की निबंधनों और शर्तों का उल्लघंन करता है ;

(ङ.) स्टाल या अनुज्ञप्ति के आबंटन के निबंधनों और शर्तों का उल्लघंन करता है ; या

(च) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अन्य निबंधनों और शर्तों का उल्लघंन करता है,

तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दो सौ रुपए से कम की नही होगी किंतु जो पांच सौ रुपए तक विस्तारित की जा सकेगी; जिसका अवधारण यथास्थिती कस्बा विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

प्रत्यागम । **20.** प्रत्येक कस्बा विक्रय समिति, समय समय पर, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे प्रत्यागम देगा जो विहित किए जांए ।

सवर्धम-कारी उपाय । **21.** समुचित सरकार, कस्बा विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और पथ विक्रेता संगमों या संघों के परामर्श से पथ विक्रेताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा की कल्याणकारी स्कीमों को प्रारंभ कर सकेगी ।

अनुसंधान प्रशिक्षण और जागरूकता । **22.** समुचित सरकार, वित्तीय और आय स्रोतों की उपलब्धता के विस्तार के लिए,

(क) पथ विक्रेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और इस अधिनियम के अधीन अवलोकित अधिकारों को कैसे प्रयोग करें ऐसे कार्यक्रमों का विकास और गठन कर सकेगी ;

(ख) उन्नत ज्ञान के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अर्थव्यवस्था में, अनौपचारिक सेक्टर की सामान्य रूप में और पथ विक्रेताओं में विशिष्टतया भूमिका को समझने और तथा कस्बा विक्रय समितियों के माध्यम से जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रारंभ कर सकेगी ।

उप-विधि बनाने की शक्ति।

23. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकरण, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करने की उप-विधि बना सकेगी, अर्थात :-

(क) निर्बंधन-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्र, निर्बंधित-परिक्षेत्रों और अभिहित विक्रय परिक्षेत्र ;

(ख) विक्रय परिक्षेत्रों में करों और फीसों के संग्रहण का विनियमन ;

(ग) विक्रय परिक्षेत्रों में यातायात का विनियमन ;

(घ) उत्पादों की क्वालिटी और विक्रय परिक्षेत्रों में जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं और लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का अनुसरण ;

(घ) विक्रय परिक्षेत्रों में नागरिक सेवाओं का विनियमन ;

(च) विक्रय परिक्षेत्रों में ऐसे अन्य विषयों का विनियमन जो आवश्यक हो ।

नियम बनाने की शक्ति ।

24(1) समुचित सरकार, कस्बा विक्रय समिति से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम के सारांश को प्रकाशित करने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन सदस्यों की संख्या ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते ;

(घ) धारा 5 के अधीन बैठक का समय, स्थान, बैठकों के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया और किए जाने वाले कृत्य ;

(ड.) रीति और प्रयोजन जिसके लिए कोई व्यक्ति धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सहबद्ध हो सकेगा;

(च) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन सहबद्ध व्यक्ति के भत्ते ;

(छ) धारा 7 के अधीन कस्बा विक्रय समिति के अन्य कर्मचारी ;

(ज) धारा 8 के अधीन वार्ड विक्रय समितियों के गठन की रीति और प्रयोजन तथा उनकी संख्या ;

(झ) धारा10 के अधीन वार्षिक लेखा विवरण को तैयार करने और प्रकाशित करने का प्रारूप और रीति।

(ञ) धारा 20 के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियां।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, स्कीम और उप-विधि बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद/राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या स्कीम या उप-विधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या स्कीम या उप-विधि नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किंतु नियम या स्कीम या उप-विधि के ऐसे परिवर्तित या निषप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108.
www.mhupa.gov.in